अध्याय - 3

दैनिक वेतनभोगी संबंधी

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
संकल्प

पटना–15, दिनांक 16 अक्टूबर, 2009

विषय :– माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के आलोक में सरकारी विभागों/कार्यालयों के दैनिक वेतनभोगियों की नियुक्तियों के वैध या अवैध, नियमित या अनियमित, विधिमान्य या अविधिमान्य होने की जाँच करने और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में इनके समायोजन के संबंध में निष्कर्ष पर आने के लिए सचिवों की तीन सदस्यीय समिति के गठन के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक संकल्प संख्या 1013 दिनांक 26.03.2007 के तहत गठित और संकल्प संख्या 1217 दिनांक 10.04.2007 तथा संकल्प संख्या–2736 दिनांक 13.08.2007 के तहत पुनर्गठित सचिवों की त्रिसदस्यीय समिति के अध्यक्ष का स्थानांतरण हो जाने के फलस्वरूप उक्त समिति का पुनर्गठन निम्नरूपेण किया जाता है :–

1. श्री दीपक कुमार, प्रधान सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना।	अध्यक्ष
2. श्री रविन्द्र पवार, सचिव (संसाधन), वित्त विभाग, बिहार, पटना।	सदस्य
3. श्री राजेश भूषण, परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् तथा सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना।	सदस्य

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
राजीव लोचन
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–3/एम०–28/2007 का०–5054 पटना–15, दिनांक 16 अक्टूबर, 2009

प्रतिलिपि– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ और इसकी 300 प्रतियाँ कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को भेजने हेतु प्रेषित।

राजीव लोचन

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–3/एम०–28/2007 का०–5054 पटना–15, दिनांक 16 अक्टूबर, 2009

प्रतिलिपि– सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/लोकायुक्त का कार्यालय/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राजीव लोचन

सरकार के विशेष सचिव

---

[2]

पत्र संख्या–3/एम०–246/ 2006 का०–5527

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

सरयुग प्रसाद,

सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,

औरंगाबाद।

पटना–15, दिनांक 27 अगस्त, 2008

विषय :– सचिवों की त्रिसदस्यीय समिति द्वारा निष्पादित मामलों में त्वरित अनुसरणात्मक कार्रवाई के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में इस विभाग का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया है कि औरंगाबाद समाहरणालय से संबंधित ऐसे वाहन चालकों, जिनके दावों को सचिवों की त्रिसदस्यीय समिति द्वारा स्वीकार किया जा चुका है, के नियमितीकरण के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा माँगी गई है। औरंगाबाद समाहरणालय द्वारा आयोग को प्रेषित पत्रांक 210/नजा० दिनांक 07.07.08, जिसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी भेजी गई है, से इसकी पुष्टि होती है।

2. ज्ञातव्य है कि सचिवों की त्रिसदस्यीय समिति के निर्णय, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित पैरामीटरों के आलोक में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा किये गये निदेश के अनुपालन में लिये गये हैं, के बाद अनुसरणात्मक

कार्रवाई के क्रम में, संकल्प संख्या 639 दिनांक 16.03.06 के आलोक में अथवा प्रासंगिक नियमावली के प्रावधानों के आलोक में, आयोग या किसी समिति की अनुशंसा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः जिन मामलों में सचिवों की त्रिसदस्यीय समिति द्वारा याचिकाकर्त्ता/अपीलकर्त्ता का दावा स्वीकार किया गया है उन्हें अविलम्ब समायोजित/नियमित किया जाय और जिन मामलों में दावा स्वीकार नहीं किया गया है वैसे याचिकाकर्त्ता/अपीलकर्त्ता (यदि वे कार्यरत हों तो) को अविलम्ब कार्यमुक्त कर दिया जाय।

विश्वासभाजन

सरयुग प्रसाद

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–3/एम–246/2006 का०–5527 पटना–15, दिनांक 27 अगस्त, 2008

प्रतिलिपि–सरकार के सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरयुग प्रसाद

सरकार के उप सचिव

---

[3]

पत्र संख्या–3/क्यू०–27/07 का०–851

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

सरयुग प्रसाद,

सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग।

सभी विभागाध्यक्ष।

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक 14 फरवरी, 2008

विषय :– राज्य सरकार के विभागों/कार्यालयों के अधीनस्थ दैनिक वेतनभोगियों का नियमितीकरण/समायोजन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि सरकार के विभागों/कार्यालयों के अधीनस्थ दैनिक वेतनभोगियों के नियमितीकरण/समायोजन हेतु इस विभाग के संकल्प संख्या 639 दिनांक 16.03.2006 के तहत शर्तों एवं

प्रक्रियाओं का निर्धारण किया जा चुका है तथा परिपत्र संख्या 1533 दिनांक 03.06.2006 के द्वारा उन प्रक्रियाओं को समयबद्ध कार्यक्रम के तहत सम्पन्न करने का निदेश जारी किया गया है। तत्पश्चात् इस विभाग के पत्रांक 2532 दिनांक 05.09.06 के तहत, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा सेक्रेटरी, स्टेट ऑफ कर्नाटका बनाम उमा देवी मामले में दिनांक 10.04.06 को पारित आदेश [(2006) 4 SCC-1] की प्रतिलिपि भी परिचारित की जा चुकी है।

अतः दैनिक वेतनभोगियों के समायोजन की कार्रवाई संकल्प संख्या 639 दिनांक 16.03.2006 के साथ पठित माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा सेक्रेटरी, स्टेट ऑफ कर्नाटका एवं अन्य बनाम उमा देवी एवं अन्य वाले मामले में दिनांक 10.04.06 को पारित आदेश में निर्धारित पैरामीटर के अनुसार शीघ्रातिशीघ्र सम्पन्न किया जाना सुनिश्चित की जाय।

विश्वासभाजन,
सरयुग प्रसाद
सरकार के उपसचिव।

---

[4]

पत्रांक–3/ एम–10/ 2008 का०–634

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

सरयुग प्रसाद,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग।
सभी विभागाध्यक्ष।
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक 31. 01. 2008

विषयः– माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के आलोक में सरकारी विभाग/कार्यालयों के दैनिक वेतनभोगियों की नियुक्तियों के वैध या अवैध, नियमित या अनियमित, विधिमान्य या अविधिमान्य होने की जाँच करने और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में इनके समायोजन के संबंध में निष्कर्ष पर आने के लिए सचिवों की तीन सदस्यीय समिति के गठन के संबंध में एक स्पष्टीकरण।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक इस विभाग के संकल्प संख्या 1013 दिनांक 26.03.07 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए निदेशानुसार कहना है कि माननीय पटना उच्च न्यायलय द्वारा दैनिक वेतनभोगियों आदि के विभिन्न केस–समूहों को सचिवों की त्रिसदस्यीय समिति को रिमांड किये जाने के परिप्रेक्ष्य में उक्त समिति का गठन किया गया है। सचिव, कार्मिक

एवं प्रशासनिक सुधार विभाग उक्त समिति के अध्यक्ष हैं और श्री राजेश भूषण, परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना एवं सचिव, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग तथा श्री सी. के. अनिल, सचिव, कृषि विभाग सम्प्रति इसके सदस्य हैं। इस समिति को मात्र माननीय न्यायालय द्वारा रिमांड किये गये मामलों पर ही विचार करना है।

2. परंतु इधर देखा गया है कि कतिपय समान स्थिति वाले दैनिक वेतनभोगियों द्वारा समिति के समक्ष दावे दाखिल किये जाने लगे हैं। साथ ही, कतिपय विभागों द्वारा भी ऐसे मामले इस समिति को भेजे जाने लगे हैं। उक्त संकल्प संख्या 1013 दिनांक 26.03.07 की कंडिका– 4 में यह उल्लेख है कि भविष्य में सदृश किसी न्यायादेश के प्राप्त होने पर उसके संदर्भ में दावों का निष्पादन उक्त समिति द्वारा ही किया जायेगा। इसके आलोक में, कुछ विभागों द्वारा माननीय न्यायालय के ऐसे आदेशों के संदर्भ में भी समिति से ही विचार करने का अनुरोध किया जाने लगा है जो समिति को रिमांड नहीं किये गये हैं बल्कि जिसके निष्पादन के लिए संबंधित विभाग को ही विचार करने का निदेश दिया गया है। एक विभाग ने तो एक अवमाननावाद में , बिना जाँच–पड़ताल किये, यह शपथ पत्र दाखिल कर दिया है कि मामला सचिवों की समिति के समक्ष विचाराधीन है।

3. अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त संकल्प में "सदृश किसी न्यायादेश" का तात्पर्य उक्त संकल्प के निर्गत की तिथि के बाद पारित ऐसे किसी न्यायादेश से है जिसमें मामला सचिवों की त्रिसदस्यीय समिति को रिमांड किया गया हो। इसका तात्पर्य समान स्थिति वाले दैनिक वेतनभोगियों के प्रत्येक न्यायादेश से नहीं है। उक्त समिति को सिर्फ वैसे ही मामलों पर विचार करना है जो माननीय न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से रिमांड किया गया है। अन्य न्यायादेशों के अनुसरण में समुचित कार्रवाई संबंधित विभाग/ कार्यालय को ही, इस विभाग के संकल्प संख्या 639 दिनांक 16.03.06 के साथ पठित माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा सेक्रेटरी, स्टेट ऑफ कर्नाटका बनाम उमा देवी वाले मामले में दिनांक 10.04.06 को पारित आदेश में निर्धारित पैरामीटर के अनुसार करना है।

विश्वासभाजन,
सरयुग प्रसाद
सरकार के उप सचिव।

---

[5]

पत्रांक–3/एम०–67/2007 का०– 2995

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

सरयुग प्रसाद,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग।

पटना–15, दिनांक 06 सितम्बर, 2007

विषय– सचिवों की त्रिसदस्यीय समिति को सहयोग प्रदान करने हेतु प्रत्येक विभाग में नोडल पदाधिकारी मनोनीत करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेशों के आलोक में गठित सचिवों की त्रिसदस्यीय समिति द्वारा विभिन्न विभागों के दैनिक वेतनभोगियों से प्राप्त दावों के त्वरित

निष्पादन हेतु सभी विभागों में उप सचिव से अन्यून स्तर के किसी पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी मनोनीत करने की आवश्यकता महसूस की गयी है ताकि उस विभाग के दैनिक वेतनभोगियों से संबंधित सूचना ससमय नोडल पदाधिकारी से संपर्क कर प्राप्त किया जा सके।

अतः अनुरोध है कि अपने–अपने विभागों में नोडल पदाधिकारी का मनोनयन करते हुए उनका नाम, पदनाम, आवासीय पता, दूरभाष सं० (कार्यालय/आवास/मोबाइल सभी) उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

सरयुग प्रसाद

सरकार के उप सचिव

---

[6]

पत्रांक–बि०क०च०आ०–प्र०–4–04/07–1439/आ०

बिहार कर्मचारी चयन आयोग,

पो०–वेटनरी कॉलेज, पटना–14

प्रेषक,

सचिव,

बिहार कर्मचारी चयन आयोग,

पटना।

सेवा में,

सभी विभाग/विभागाध्यक्ष

सभी प्रमंडलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी

पटना, दिनांक 27 अगस्त, 2007

विषयः राज्य सरकार के विभागों/ कार्यालयों के अधीनस्थ दैनिक वेतन भोगियों की स्वीकृत रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की संकल्प संख्या 639 दिनांक 16.03.2006 के आलोक में विशेष सीमित परीक्षा के आयोजन हेतु बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जाने वाली अधियाचना के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि रिक्तियों की उपलब्धता एवं अन्य परिस्थितियों के समान रहने पर ऐसे दैनिक वेतन भोगी कर्मियों, जिन्होंने कम से कम 240 दिनों तक कार्य किया है, की सरकारी सेवा में रिक्तियों के विरुद्ध नियमित नियुक्ति करने हेतु प्रक्रिया का निर्धारण सरकार ने किया है, जिसका संसूचन विषयांकित संकल्प द्वारा किया गया है। जो दैनिक वेतन भोगी कर्मी दिनांक 11.12.1990 के पूर्व से कम से कम 240 दिनों से कार्यरत हैं या कार्यरत रहे हैं, वे नियमितीकरण के विचार हेतु योग्य होंगे। समूह "ग" के पदों पर कार्यरत ऐसे दैनिक वेतन भोगियों की नियुक्ति बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से विशेष सीमित परीक्षा के आधार पर की

जायेगी। जिस पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दिया जायेगा उसके लिए निर्धारित अर्हता रहना आवश्यक होगा। परीक्षा में सफल होने एवं रिक्ति उपलब्ध होने पर ही नियुक्ति की जा सकेगी। समूह "ग" में नियुक्ति के पूर्व संबंधित कार्यालयों द्वारा उनके प्रशासी विभाग के माध्यम से रिक्तियों की सम्पुष्टि वित्त विभाग से करा ली जायेगी और दिनांक 31.12.2005 तक की उपलब्ध रिक्तियों एवं उनके भरे जाने की आवश्यकता के संबंध में संबंधित कार्यालय प्रधान/ विभागाध्यक्ष द्वारा प्रमाण पत्र दिया जायेगा। सभी मामलों में सिर्फ एक अवसर (One Time Opportunity) दिया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त बातों पर ध्यान देते हुए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की संकल्प संख्या 639, दिनांक 16.03.2006 के आलोक में बिहार कर्मचारी चयन आयोग को विधिवत अधियाचना भेजने की कृपा की जाये। विशेष सीमित परीक्षा के आयोजन हेतु भेजी जाने वाली अधियाचना का विशेष रूप से तैयार किया गया प्रारूप (प्रपत्र–। एवं प्रपत्र–।। सहित) संलग्न है। अधियाचना भेजने के संबंध में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की संकल्प संख्या 2374, दिनांक 16.07.07 को भी कृपया ध्यान में रखा जाय।

अनुलग्नक– यथोपरि।

विश्वासभाजन,
जर्नादन प्रसाद सिंह
सचिव,
बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की संकल्प संख्या 639 दिनांक 16.03.2006 के आलोक में दैनिक वेतन भोगियों की नियुक्ति विशेष सीमित परीक्षा के माध्यम से करने हेतु बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जाने वाली अधियाचना का प्रारूप।

विभाग/कार्यालय प्रधान :–

1. पद/सेवा का नाम :–
2. वेतनमान :–
3. संवर्ग किस स्तर का है :–
   राज्य स्तरीय/प्रमण्डल स्तरीय/
   जिला स्तरीय आदि।
4. नियुक्ति पदाधिकारी :–
5. रिक्तियों की संख्या, जिनके लिए
   आयोग से अनुशंसा अपेक्षित है :–
   (i) अनु० जाति –
   (ii) अनु० जनजाति–
   (iii) अत्यंत पिछड़ा वर्ग–
   (iv) पिछड़ा वर्ग–
   (v) पिछड़ा वर्ग की महिला–

(vi) सामान्य–

(vii) योग्य –

6. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :–

7. तकनीकी योग्यता यदि आवश्यक हो तो :–

8. वांछनीय योग्यता, यदि कोई हो तो :–

9. अनुभव, यदि आवश्यक हो तो :–

10. आवास संबंधी अनिवार्यता, यदि कोई हो तो :–

11. आयु न्यूनतम :–

अधिकतम :–

12. उम्मीदवारों का चयन किस आधार पर किया जाना है :–

(i) केवल शैक्षणिक अंकों के आधार पर –

(ii) केवल लिखित परीक्षा के आधार पर –

(iii) केवल साक्षात्कार के आधार पर –

(iv) उपरोक्त में से किसी दो अथवा इससे अधिक के मिश्रण के आधार पर –

[कृपया चयन के आधार के संबंध में विस्तृत विवरण अंकित करें, जिसमें विभिन्न खण्डों के पूर्णांक अवश्य अंकित हों।]

13. अन्यान्य :–

नोट :– चयन का आधार स्पष्ट नहीं होने की स्थिति में उसे विभागीय सचिव/कार्यालय प्रधान के परामर्श से आयोग निर्धारित कर सकेगा।

विभागीय सचिव/कार्यालय प्रधान
का हस्ताक्षर एवं मुहर

कृपया निम्न संलग्न करें :–

1. रोस्टर क्लीयरेंस –
2. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, विशेष योग्यता, वांछनीय योग्यता के लिए निर्धारण संबंधी नियम/आदेश/परिपत्र।
3. अनुभव, यदि हो तो उससे संबंधित नियम/आदेश/परिपत्र।
4. आवास संबंधी कोई अनिवार्यता हो तो उससे संबंधित नियम/आदेश/परिपत्र।
5. चयन के आधार से संबंधित नियम/आदेश/परिपत्र।
6. संबंधित संवर्ग/सेवा की नियुक्ति नियमावली/आदेश/परिपत्र।
7. अन्य (कृपया उल्लेख करें)।

प्रपत्र–I

वर्ग	वेतनमान	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	तकनीकी योग्यता	अनुभव	अन्य कोई शर्त यदि हो तो	चयन का आधार	प्रतियोगिता परीक्षा के विषय, सिलेबस एवं प्राप्तांक	नियम /परिपत्र	नियुक्ति पदाधिकारी किस स्तर के हैं	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

प्रपत्र–II

क्रमांक	दैनिक वेतन भोगी कर्मी का नाम/ पदनाम	आरक्षण कोटि	शैक्षणिक योग्यता/ तकनीकी योग्यता	दैनिक वेतन भोगी के रूप में दिनांक 11.12.90 से पूर्व कार्य प्रारंभ करने की तिथि	प्रशासी विभाग के माध्यम से रिक्तियों की सम्पुष्टि वित्त विभाग से करा ली गयी है अथवा नहीं	दिनांक 31.12.2005 तक की उपलब्ध रिक्तियों एवं उनके भरे जाने की आवश्यकता से संबंधित कार्यालय प्रधान/ विभागाध्यक्ष द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8

विभागीय सचिव/कार्यालय प्रधान

का हस्ताक्षर एवं मुहर

[7]

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

पटना—15, दिनांक 13 अगस्त, 2007

विषय :— माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के आलोक में सरकारी विभागों /कार्यालयों के दैनिक वेतन भोगियों की नियुक्तियों के वैध या अवैध, नियमित या अनियमित, विधिमान्य या अविधिमान्य होने की जाँच करने और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में इनके समायोजन के संबंध में निष्कर्ष पर आने के लिए सचिवों की तीन—सदस्यीय समिति के गठन के संबंध में।

उपर्युक्त विषय पर संकल्प सं० 1013 दिनांक 26.03.07 तथा संकल्प सं० 1217 दिनांक 10.04.07 के तहत गठित सचिवों की तीन सदस्यीय समिति के सदस्य श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा, सचिव, नगर विकास विभाग की दिनांक 30.06.07 को वार्धक्य सेवानिवृति हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री सी० के० अनिल, विशेष सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना को उक्त समिति का सदस्य नामित किया जाता है।

आदेश :— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
राजीव लोचन
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापाक—3/एम—28/2007 का०—2736 पटना—15, दिनांक 13 अगस्त, 2007

प्रतिलिपि— अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ और इसकी 300 प्रतियाँ कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को भेजने हेतु प्रेषित।

राजीव लोचन
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापाक—3/एम—28/2007 का०—2736 पटना—15, दिनांक 13 अगस्त, 2007

प्रतिलिपि—सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष /राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/लोकायुक्त का कार्यालय/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राजीव लोचन
सरकार के अपर सचिव

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
संकल्प

पटना—15, दिनांक 10. 04. 2007

विषय :— माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के आलोक में सरकारी विभागों/कार्यालयों के दैनिक वेतनभोगियों की नियुक्तियों के वैध या अवैध, नियमित या अनियमित, विधिमान्य या अविधिमान्य होने की जाँच करने और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में इनके समायोजन के संबंध में निष्कर्ष पर आने के लिए सचिवों की तीन सदस्यीय समिति के गठन के संबंध में।

उपर्युक्त विषय पर संकल्प सं० 1013 दिनांक 26.3.2007 के तहत गठित सचिवों की तीन सदस्यीय समिति के सदस्य श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी, भा० प्र० से० की केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के कारण उनके स्थान पर श्री राजेश भूषण, भा० प्र० से०, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लि०, पटना को उक्त समिति का सदस्य नामित किया जाता है।

आदेश:— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
राजीव लोचन
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक—3/एम०—28/2007 का०—1217 पटना—15, दिनांक 10.04.2007

प्रतिलिपि— अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ और इसकी 300 प्रतियाँ कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को भेजने हेतु प्रेषित।

राजीव लोचन
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक—3/एम०—28/2007 का०—1217 पटना—15, दिनांक 10.04.2007

प्रतिलिपि— सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/लोकायुक्त का कार्यालय/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राजीव लोचन
सरकार के अपर सचिव

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

आदेश

आदेश सं०– 3/एम०–28/2007 का०–1029 पटना–15, दिनांक 29. 03. 07

पिछले कुछ दिनों में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा अनेक आदेश पारित किये गये हैं जिनमें दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के संबंध में उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं के प्रसंग में निदेश दिये गये हैं। उक्त न्यायादेशों का विवरण निम्नानुसार है :–

(1) सी० डब्लू० जे० सी० नं० 7539/2000 सहित 67 याचिकाएँ, जिन पर दिनांक 04.12.06 को समेकित आदेश हुआ है कि मुख्य सचिव, बिहार दो महीने के अंदर तीन सचिवों की एक समिति गठित करें तथा समिति 6 सप्ताह के अंदर याचिकाकर्ताओं के दावों का निष्पादन करे।

(2) सी० डब्लू० जे० सी० नं० 6504/2000 सहित 59 याचिकाएँ, जिन पर दिनांक 30.11.06 को समेकित आदेश हुआ है कि मुख्य सचिव, बिहार दो महीने के अंदर तीन सचिवों की एक समिति गठित करें तथा समिति 6 सप्ताह के अंदर याचिकाकर्ताओं के दावों का निष्पादन करें।

(3) सी० डब्लू० जे० सी० नं० 12794/2000 सहित 86 याचिकाएँ, जिन पर दिनांक 22.01.07 को समेकित आदेश हुआ है कि मुख्य सचिव, बिहार दो महीने के अंदर तीन सचिवों की एक समिति गठित करें और समिति 5 महीने के अंदर याचिकाकर्ताओं के दावों का निष्पादन करें।

(4) एल० पी० ए० सं० 798/2005 सहित 23 अपीलों, जिन पर दिनांक 11.01.07 को समेकित आदेश हुआ है कि मुख्य सचिव, बिहार एक महीना के अंदर तीन सचिवों की एक समिति गठित करें तथा समिति 6 महीने के अंदर अपीलकर्ताओं के दावों का निष्पादन करते हुए निर्णय लें।

2. उपर्युक्त न्यायादेशों के अनुसरण में सचिवों की तीन सदस्यीय समिति का गठन संकल्प सं० 1013 दिनांक 26.03.07 के तहत किया गया है। सचिवों की उक्त समिति को आवश्यक सचिवालीय सहायता प्रदान करने हेतु इस विभाग में एक कोषांग का गठन किया जाता है।

3. उक्त कोषांग के प्रभारी श्री गुलाम रब्बानी, अवर सचिव होंगे, जो अपने मौलिक कर्तव्यों के अतिरिक्त इस कार्य को करेंगे। उन्हें सहायता देने के लिए श्री बंगाली मिश्र, सहायक, प्रशाखा–3 को, अपने मौलिक कर्त्तव्यों के अतिरिक्त कार्य करने हेतु, प्रतिनियुक्त किया जाता है।

4. उक्त कोषांग श्री गुलाम रब्बानी, अवर सचिव के कार्यालय कक्ष में कार्यरत रहेगा, परंतु प्रासंगिक संचिकाओं का उपस्थापन प्रशाखा पदाधिकारी/अवर सचिव (श्री रब्बानी)/उप सचिव, प्रशाखा–3 के माध्यम से होगा।

सरयुग प्रसाद

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–3/एम०–28/2007 का०–1029 पटना–15, दिनांक 29.03.07

प्रतिलिपि– (1) श्री गुलाम रब्बानी, अवर सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) श्री बंगाली मिश्र, सहायक, प्रशाखा–3, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–3 एवं प्रशाखा–4, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरयुग प्रसाद

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–3/एम०–28/2007 का०–1029 पटना–15, दिनांक 29.03.07

प्रतिलिपि– कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग में पदस्थापित सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित) को सूचनार्थ प्रेषित।

सरयुग प्रसाद

सरकार के उप सचिव

---

[10]

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
संकल्प

पटना–15, दिनांक 26.03.07

विषय :– माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के आलोक में सरकारी विभागों/कार्यालयों के दैनिक वेतनभोगियों की नियुक्तियों के वैध या अवैध, नियमित या अनियमित, विधिमान्य या अविधिमान्य होने की जाँच करने और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में इनके समायोजन के संबंध में निष्कर्ष पर आने के लिए सचिवों की तीन सदस्यीय समिति के गठन के संबंध में।

पिछले कुछ दिनों में मा० उच्च न्यायालय के द्वारा अनेक आदेश पारित किये गये हैं जिनमें दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के संबंध में उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं के प्रसंग में निदेश दिये गये हैं। उक्त न्यायादेशों का विवरण निम्नानुसार है :–

(i) सी० डब्लू० जे० सी० नं० 7539/2000 सहित 67 याचिकाएँ, जिन पर दिनांक 04.12.06 को समेकित आदेश हुआ है कि मुख्य सचिव, बिहार दो महीने के अंदर तीन सचिवों की एक समिति गठित करें तथा समिति 6 सप्ताह के अंदर याचिकाकर्ताओं के दावों का निष्पादन करें ।

(ii) सी० डब्लू० जे० सी० नं० 6504/2000 सहित 59 याचिकाएँ, जिन पर दिनांक 30.11.06 को समेकित आदेश हुआ है कि मुख्य सचिव, बिहार दो महीने के अंदर तीन सचिवों की एक समिति गठित करें तथा समिति 6 सप्ताह के अन्दर याचिकाकर्ताओं के दावों का निष्पादन करे।

(iii) सी० डब्लू० जे० सी० नं० 12794/2000 सहित 86 याचिकाएँ, जिन पर दिनांक 22.01.07 को समेकित आदेश हुआ है कि मुख्य सचिव, बिहार दो महीने के अंदर तीन सचिवों की एक समिति गठित करें और समिति 5 महीने के अंदर याचिकाकर्ताओं के दावों का निष्पादन करे।

(iv) एल०पी०ए० सं० 798/2005 सहित 23 अपीलों, जिन पर दिनांक 11.01.07 को समेकित आदेश हुआ है कि मुख्य सचिव, बिहार एक महीना के अंदर तीन सचिवों की एक समिति गठित करें तथा समिति 6 महीने के अंदर अपीलकर्ताओं के दावों का निष्पादन करते हुए निर्णय लें।

2. उपर्युक्त न्यायादेशों के परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार सचिवों की तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है :–

(i) श्री आमिर सुबहानी, – अध्यक्ष
सचिव,
कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग

(ii) श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी, – सदस्य
अपर वित्त आयुक्त (संसाधन)

(iii) श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा, – सदस्य
सचिव,
नगर विकास विभाग

3. किसी भी विभाग से संबंधित मामले पर निर्णय करते समय बैठक में संबंधित विभाग के सचिव को भी विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाया जायेगा। आवेदकों के दावों के भली–भाँति सत्यापित कर समिति के समक्ष तथ्य रखने का उत्तरदायित्व प्रशासी विभाग के सचिव का ही होगा ।

4. भविष्य में सदृश किसी न्यायादेश के प्राप्त होने पर उसके संदर्भ में भी दावों का निष्पादन उक्त समिति द्वारा ही किया जायेगा।

आदेश:–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
राजीव लोचन
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–3/एम०–28/2007 का०–1013 पटना–15, दिनांक 26.03.07

प्रतिलिपि– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ और इसकी 300 प्रतियाँ कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को भेज़ने हेतु प्रेषित।

राजीव लोचन
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–3/एम०–28/2007 का०–1013 पटना–15, दिनांक 26.03.07

प्रतिलिपि– सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/लोकायुक्त का कार्यालय/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राजीव लोचन

सरकार के अपर सचिव

---

[11]

पत्र संख्या–3/एम०–40/2007 का०–948

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

सरयुग प्रसाद,

सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव/सचिव,

सरकार के सभी विभाग

सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमंडलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी

पटना–15, दिनांक 21. 03. 07

विषयः– समूह 'ग' के पदों पर कार्य पर रखे गये दैनिक वेतनभोगियों की नियमित नियुक्ति के लिए एक अवसर के तहत विशेष सीमित परीक्षा के आयोजन हेतु अधियाचना भेजने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में इस विभाग के संकल्प सं० 639 दिनांक 16.03.06 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि समूह–'ग' के पदों पर कार्य पर रखे गये दैनिक वेतनभोगियों की नियमित नियुक्ति सिर्फ एक अवसर (One time opportunity) के तहत बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित विशेष सीमित परीक्षा में उत्तीर्णता के आधार पर हो सकती है। इस हेतु आधार एवं प्रक्रिया का प्रावधान उक्त संकल्प की कंडिका– 2(1) एवं (2) के तहत किया गया है। एतदर्थ पत्रांक 1533 दिनांक 03.06.06 में की गयी अपेक्षा के अनुसार बिहार कर्मचारी चयन आयोग को दिनांक 31.08.2006 तक अधियाचना भेज दी जानी थी। परंतु बिहार कर्मचारी चयन आयोग के पत्रांक 437/आ० दिनांक 12.03.07 द्वारा सूचित किया गया है कि किसी विभाग अथवा क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आयोग को रिक्तियों की, विहित प्रपत्र में आरक्षण कोटिवार, अधियाचना नहीं भेजी गयी है।

2. उल्लेखनीय है कि विभिन्न विभागों/कार्यालयों से संबंधित ऐसे मामलों संबंधी न्यायादेशों के आलोक में भी आयोग द्वारा ऐसी परीक्षा का आयोजन अपेक्षित है, परंतु एतदर्थ आयोग को संबंधित विभाग/कार्यालय से रिक्तियों की अधियाचना

(विहित प्रपत्र में आरक्षण कोटिवार) का प्राप्त होना आवश्यक है।

3. अतः अनुरोध है कि इस विभाग के उक्त संकल्प की कंडिका–2 (1) एवं (2) के आलोक में समूह–'ग' के पदों पर कार्य पर रखे गये दैनिक वेतनभोगियों की नियमित नियुक्ति के लिए विशेष सीमित परीक्षा के आयोजन हेतु बिहार कर्मचारी चयन आयोग को रिक्तियों की सूची तथा आरक्षण रोस्टर अनुमोदित कराने के साक्ष्य के साथ विहित प्रपत्र में अधियाचना अविलम्ब भेजने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

सरयुग प्रसाद

सरकार के उप सचिव

---

[12]

पत्रांक 3/सी०–139/2006 (खंड) का०–2532

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

सरयुग प्रसाद,

सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव/सचिव, सभी विभाग

सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमंडलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी

पटना–15, दिनांक 05. 09. 06

विषय :– दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के नियमितीकरण के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा सेक्रेटरी, कर्नाटक राज्य एवं अन्य बनाम उमा देवी एवं अन्य वाले मामले में दिनांक 10.04.2006 को पारित आदेश के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक दिनांक 10.04.2006 को उच्चतम न्यायालय के संविधान पीठ द्वारा पारित आदेश [(2006) 4 एस० सी० सी०–1] की प्रतिलिपि सूचना एवं अपेक्षित कार्रवाई हेतु संलग्न कर भेजी जाती है।

विश्वासभाजन,

सरयुग प्रसाद

सरकार के उप सचिव

THE

SUPREME COURT CASES

(2006) 4 SCC

(2006) 4 Supreme Court Cases 1

(BEFORE Y.K. SABHARWAL, C.J. AND ARUN KUMAR, G.P. MATHUR, C.K. THAKKER AND P.K. BALASUBRAMANYAN, JJ.)

SECRETARY, STATE OF KARNATAKA AND OTHERS . . Appellants

Versus

UMA DEVI (3) AND OTHERS . . Respondents.

Civil Appeals Nos. 3595-3612 of 1999 with Nos. 1851-2063, 3849 of 2001, 3520-24 of 2002 and 1968 of 2006, decided on April 10, 2006

A. Constitution of India— Arts. 32, 136, 141, 142 & 226 and 16 , 14 & 309 and 38 & 39 (a) — Public employment — Absorption, regularisation, or permanent continuance of temporary, contractual, casual , daily-wage or adhoc employees appointed/ recruited and continued for long in public employement dehors the constitutional scheme of public employment— Issuance of directions for, and for stay of regular recruitment process for the posts concerned— Impermissibility of — Need for addressing concerns of equity for *all*, and not of just the few before the court, by upholding of constitutional scheme of public employment, whose hallmark is equality of opportunity— Held, Supreme Court and High Courts should not issue such directions unless the recruitment itself was made regularly and in terms of the constitutional scheme— Reasons for, discussed extensively— Financial/ economic impact of such directions, as a factor — The wide powers under Art. 226 are not intended to be used for issuance of such directions, certain to defeat the concept of social justice, equal opportunity for all and the constitutional scheme of public employment— Supreme Court is bound to insist on the State making regular recruitments and appointments and not to encourage or shut its eyes to the persistent transgression of the rules of regular recruitment— It is erroneous for Supreme Court to merely consider equity for the handful of people who have approached the court with a claim whilst ignoring equity for the teeming millions seeking employment and a fair opportunity for competing for employment— Further courts must be careful in ensuring that they do not interfere unduly with the economic/ financial arrangement of the affairs of the State or its instrumentalities.

— Phenomenon of "litigious employment" which had arisen due to issuance of such directions by High Courts, and even Supreme Court, highlighted — Held, merely because an employee had continued under cover of an order of the court, under "litigious employment" or had been continued beyond the term of his appointment by the State or its instrumentalities, he would not be entitled to any right to be absorbed or made permanent in service, merely on the strength of such continuance, if the original appointment was not made by following a due process of selection as envisaged by the relevant rules — It is further not open to the court to prevent regular recruitment at the instance of such employees — Unsustainability of claim to permanence on basis of long continuance in irregular or illegal public employment, discussed in detail.

— Held, decisions of the Supreme Court running counter to or containing directions counter to these

principles will stand denuded of their status as precedents— Union and State Governments and their instrumentalities directed to set in motion the process for regular recruitment in cases where temporary or daily- wagers were employed against vacant sanctioned posts, within six months of the date of this judgment — Further, cases of *irregular* appointments (not illegal appointments) of duly qualified persons in duly sanctioned vacant posts, who had continued to work for ten years or more, but without the intervention of orders of courts or tribunals, may have to be considered for regularisation on merits in light of the principles laid down in this case, as a one-time measure, within six months of the date of this judgment — Service Law.

B. Constitution of India— Arts. 142, 32 & 136 and Parts III and IV— Role of Supreme Court— Individualising of justice to suit a given situation — Scope for — Assumption re parties before the court being representative of the cause— Propriety— Need for balancing of rights of the numerous not before the court as against the few who are before the court— Held, We have given unto ourselves a system of governance by rule of law— The role of the Supreme Court is to render justice according to law— It is expected to decide questions of law for the country and not to decide individual cases without reference to principles of law— In the name of individualising justice it is not possible for the Supreme Court to shut its eyes to the constitutional scheme and the rights of the numerous as against the few who are before the court— Directive principles of State policy have also to be reconciled with the rights available to the citizen under Part III and the obligation of the State to one and all and not to a particular group of citizens — Practice and Procedure— Rule of law— Meaning of — Implications of a system of governance by rule of law, for Apex Court of the land.

C. Constitution of India— Arts . 141, 32, 136 & 142 — Duty of Supreme Court acting as Constitutional Court— Role and approach of a Constitutional Bench of Supreme Court— Uncertainty and divergence of approach and views in decisions of Supreme Court — Need for firm decision by Supreme Court one way or another, emphasised— Held, in such cases it is necessary to put an end to uncertainty and clarify the legal position emerging from the constitutional scheme, leaving the High Courts to follow necessarily the law thus laid down—A Constitution Bench has to lay down the law—It has to approach the question as a constitutional court should —Precedents.

D. Constitution of India—Art. 142—Exercise of power under—Scope—"Complete Justice" —Meaning of—Held, complete justice would be justice according to law, and though it would be open to Supreme Court to mould the relief, it would not grant relief which would amount to perpetuating an illegality—Hence in doing complete justice under Art. 142, Supreme Court would not normally give a go-by to the procedure established by law in the matter of public employment.

E. Constitution of India—Arts. 226, 32, 236 and 142—Interference in service matters—Interim directions—Scope for—Absorption, regularisation, or permanent continuance of temporary, contractual, casual, daily-wage or ad hoc employees appointed/recruited dehors the constitutional scheme of public employment—Scope for issuance of interim directions for—Held, in such cases High Court may not be justified in issuing interim directions—Reasons for, discussed—Service Law—Interim relief—Service Law.

F. Constitution of India—Art. 226—Exercise of power under—Relief that may be granted—Role of High Courts under—Held, the wide powers under Art. 226 are not intended to be used for the purpose of perpetuating illegalities, irregularities or improprieties—Role of High Courts as sentinels and as guardians of equal rights protection should not be forgotten.

G. Service Law—Casual Labour/Temporary employee—Status and rights of—Unequal bargaining power—Effect—Held, such employees do not have any right to regular or permanent public employment—Further, temporary, contractual, casual, ad hoc or daily wage public employment must be deemed to be accepted by the employee concerned fully knowing the nature of it and the consequences flowing from it—Reasons for, discussed in detail—Labour Law.

H. Constitution of India—Arts. 136, 32 and 14—Adverse effect of trying to individualise justice on inconsistent precedents constituting the binding law of the land—Jurisprudence—Justice versus law—Equity—Equity versus law.

I. Constitution of India—Arts. 141 and 142—Direction given by Constitutional Bench for overruling of all past precedents which ran counter to principles laid down as law herein.

J. Service Law—Appointment—Modes of appointment—Permissible modes—Absorption, regularisation, or permanent continuance of temporary, contractual, casual, daily-wage or ad hoc employees appointed/recruited dehors the constitutional scheme of public employment on issuance of directions by court therefor—Held, issuance of such directions amount to creating another mode of public appointment, which is not permissible.

Allowing the appeals of the State, the Supreme Court

Held:

It is not possible to accept the statement that the Supreme Court should individualise justice to suit a given situation, unqualified as it appears to be. The Supreme Court is not only the constitutional court, it is also the highest court in the country, the final court of appeal. By virtue of Article 141 of the Constitution, what the Supreme Court lays down is the law of the land. Its decisions are binding on all the courts. Its main role is to interpret the constitutional and othere statutory provisions bearing in mind the fundamental philosophy of the Constitution. We have given unto ourselves a system of governance by rule of law. The role of the Supreme Court is to render justice according to law. As one jurist put it, the Supreme court is expected to decide questions of law for the country and not to decide individual cases without reference to such principles of law. Consistency is a virtue. Passing orders not consistent with its own decisions on law, is bound to send out confusing signals and usher in judicial chaos. Its role, therefore, is really to interpret the law and decide cases coming before it, according to law. Orders which are inconsistent with the legal conclusions arrived at by the court in the selfsame judgment not only create confusion but also tend to usher in arbitrariness highlighting the statement, that equity tends to vary with the Chancellor's foot. (Para 20)

In the name of individualising justice , it is also not possible for the Supreme Court to shut its eyes to the constitutional scheme and the rights of the numerous as against the few who are before the court . The directive principles of State policy have also to be reconciled with the rights available to the citizen under Part III of the Constitution and the obligation of the State to one and all and not to a particular group of citizens.

(Para 51)

Dharwad District PWD Literate Daily Wage Employees Assn. v. State of Karnataka (1990) 2SCC 396 : 1990 SCC (L & S) 274 : (1990) 12 ATC 902, overruled.

The Supreme Court has on occasions issued directions which could not be said to be consistent with the constitutional scheme of public employment . Such directions are issued presumably on the basis of equitable

considerations or individualisation of justice. The question arises, equity to whom? Equity for the handful of people who have approached the court with a claim, or equity for the teeming millions of this country seeking employment and seeking a fair opportunity for competing for employment? When one side of the coin is considered the other side of the coin has also to be considered and the way open to any court of law or justice is to adhere to the law as laid down by the Consitution and not to make directions, which at times, even if do not run counter to the constitutional scheme, certainly tend to water down the constitutional requirements.

(Para 5)

This bypassing of the constitutional scheme cannot be perpetuated by the passing of orders without dealing with and deciding the constitutional validity of the interim and final orders of the Supreme Court and High Courts, which have issued directions for regularisation, permanent continuation or absorption without referring to the legal position obtaining thereby, and which have been relied on by the respondent employees to claim the same relief. While aproaching the questions falling for decision before this Constitution Bench, it is necessary to bear this in mind and to bring about certainty in the matter of public employment . The claim to a parity of treatment based on such orders also highlights the need for the Supreme Court to formally lay down the law on the question and ensure certainty in dealings relating to public employment. The very divergence in approach in the Supreme Court, the so- called equitable approach made in some, as against those decisions which have insisted on the rules being followed also justifies a firm decision by the Supreme Court one way or the other. It is necessary to put an end to uncertainty and clarify the legal position emerging from the constitutional scheme, leaving the High Courts to follow necessarily, the law thus laid down. This Consitution Bench has to lay down the law. It has to approach the question as a constitutional court should.

(Para 14 and 10)

Persons who get employed, without the following of a regular procedure or even through the backdoor or on daily wages, have been approaching the courts, seeking directions to make them permanent in their posts and to prevent regular recruitment to the posts concerned. The courts have not always kept the legal aspects in mind and have occasionally even stayed the regular process of employment being set in motion and in some cases even directed that these illegal, irregular or improper entrants be absorbed into service. A class of employment which can only be called " litigious employment" has risen like a phoenix seriously impairing the constitutional scheme .While directing that appointments , temporary or casual, be regularised or made permanent, the courts are swayed by the fact that the person concerned has worked for some time and in some cases for a considerable length of time. Such an argument fails when tested on the touchstone of constitutionality and equality of opportunity enshrined in Article 14 of the Constitution. Merely because a temporary employee or a casual wage worker is continued for a time beyond the term of his appointment , he would not be entitled to be absorbed in regular service or made permanent , merely on the strength of such continuance, if the original appointment was not made by following a due process of selection as envisaged by the relevant rules. It is not open to the court to prevent regular recruitment at the instance of temporary employees whose period of employment has come to an end or of ad hoc employees who by the very nature of their appointment, do not acquire any right.

(Paras 4, 43 & 45)

It is not as if the person who accepts an engagement either temporary or casual in nature, is not aware of the nature of his employment. He accepts the employment with open eyes. It may be true that he is not in a position to bargain— not at arm's length— since he might have been searching for some employment so as to

eke out his livelihood and accepts whatever he gets. But on that ground alone it would not be appropriate to jettison the constitutional scheme of appointment, perpetuate illegalities and to take the view that a person who has temporarily or casually get employed should be directed to be continued permanently. By doing so it will be creating another mode of public appointment which is not permissible. If the court were to void a contractual employment of this nature on the ground that the parties were not having equal bargaining power, that too would not enable the court to grant any relief to that employee . A total embargo on such casual or temporary employment is not possible given the exigencies of administration and if imposed, would only mean that some people who at least get employment temporarily, contractually or casually, would not be getting even that employment when securing of such employment brings at least some succour to them. After all innumerable citizens of our vast country are in search of employment and one is not compelled to accept a casual or temporary employment if one is not inclined to go in for such an employment. It is in that context that one has to proceed on the basis that the employment was accepted fully knowing the nature of it and the consequences flowing from it. (Paras 45, 49 and 13)

When the court is approached for relief by way of a writ , the court has necessarily to ask itself whether the person before it had any legal right to be enforced. Considered in the light of the very clear constitutional scheme, it cannot be said that the temporary, contractual, casual or daily-wage employees have been able to establish a legal right to be made permanent even though they have never been appointed in terms of the relevant rules or in adherence of Articles 14 and 16 of the Constitution. It is therefore not possible to accept the argument that the State action in not regularising the employees was not fair within the framework of the rule of law. (Paras 45 & 49)

Orders for absorption, regularisation or permanent continuance of such employees are passed apparently in exercise of the wide powers under Article 226 of the Constitution. The wide powers under Article 226 are not intended to be used for a purpose certain to defeat the concept of social justice and equal opportunity for all, subject to affirmative action in the matter of public employment as recognised by our Constitution. It is time that the courts desist from issuing orders preventing regular selection or recruitment at the instance of such persons and from issuing directions for continuance of those who have not secured regular appointments as per procedure established. The passing of orders for continuance tends to defeat the very constitutional scheme of public employment. It has to be emphasised that this is not the role envisaged for the High Courts in the scheme of things and their wide powers under Article 226 are not intended to be used for the purpose of perpetuating illegalities, irregularities or improprieties or for scuttling the whole scheme of public employment. Its role as the sentinel and as the guardian of equal rights protection should not be forgotten. (Para 4)

The High Courts acting under Article 226 should not, therefore, ordinarily issue directions for absorption, regularisation, or permanent continuance unless the recruitment itself was made regularly and in terms of the constitutional scheme. Merely because an employee had continued under cover of an order of the court, under " litigious employment" he would not be entitled to any right to be absorbed or made permanent in the service. In fact, in such cases, the High Court may not be justified in issuing interim directions, since, after all, if ultimately the employee approaching it is found entitled to relief, it may be possible for it to mould the relief in such a manner that ultimately no prejudice will be caused to him, whereas an interim direction to continue his employment would hold up the regular procedure for selection or impose on the State the burden of paying an employee who is really not required. The courts must be careful in ensuring that they do not interfere unduly

with the economic arrangement of its affairs by the State or its instrumentalities or lend themselves the instruments to facilitate the bypassing of the consitutional and statutory mandates. (Paras 43 & 12)

Obviously, the State is also controlled by economic considerations and financial implications of any public employment. The viability of the department or the instrumentality or of the project is also of equal concern for the State. The State works out the scheme taking into consideration the financial implications and the economic aspects. The courts cannot impose on the State a financial burden of this nature by insisting on regularisation or permanence in employment , when those employed temporarily are not needed permanently or regularly. A direction to give permanent employment to all those who are being temporarily or casually employed in a public sector undertaking may cause the financial burden on such undertaking to become so heavy that the undertaking itself may collapse under its own weight. It is not as if this has not happened . So, the court ought not to impose a financial burden on the State by such directions, as such directions may turn counterproductive. (Para 19)

The State should not be allowed to depart from the normal rule and indulge in temporary employment in permanent posts. Regular recruitment should be insisted upon, only in a contingency can an ad hoc appointment be made in permanent vacancy, but the same should soon be followed by a regular recruitment and appointments to non- available posts should not be taken note of for regularisation. The Supreme Court is bound to insist on the State making regular and proper recruitments and is bound not to encourage or shut its eyes to the persistent transgression of the rules of regular recuitment. The direction to make permanent can only encourage the State, the model employer, to flout its own rules and would confer undue benefits on a few at the cost of many waiting to compete. It is not the role of the courts to ignore, encourage or approve appointments made or engagements given outside the constitutional scheme. The approving of such acts also results in depriving many of their opportunity to compete for public employment, it would also mean that appoinments made otherwise than by a regular process of selection would become the order of the day completely jettisoning the constitutional scheme of appointment. (Paras 26, 33 & 13)

Complete justice would be justice according to law and though it would be open to the Supreme Court to mould the relief the Supreme Court would not grant a relief which would amount to perpetuating an illegality. (Para 44)

The power to make an order as is necessary for doing complete justice in any cause or matter pending before the Supreme Court, would not normally be used for giving the go- by to the procedure established by law in the matter of public employment. Take the situation arising in the cases on appeal from the State of Karnataka. Therein, after *Dharwad decision* (1990) 2 SCC 396, the Government had issued repeated directions and mandatory orders that no temporary or ad hoc employment or engagement be given. Some of he authorities and departments had ignored those directions or defied those directions and had continued to give employment, specifically interdicted by the orders issued by the executive. Some of the appointing officers have even been punished for their defiance. It would not be just or proper to pass an order in exercise of jurisdiction under Article 226 or 32 of the Constitution or in exercise of power under Article 142 of the Constitution permitting those persons engaged to be absorbed or to be made permanent based on their appointments or engagements. (Para ....)

On a survey of judgments of the Supreme Court on the point, the predominant view is seen to be that